५. जिला प्रशासन

५.१ जिलाधिकारी

५.२ जिला पुलिस प्रमुख

५.३ जिला न्यायालय

ऐसे प्रश्न तुम्हारे मन में आते होंगे ना? जिला परिषद यह पंचायती राज्य व्यवस्था अर्थात ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का एक घटक है । परंतु हमारे महाराष्ट्र में जिले का प्रशासन जिला परिषद के साथ-साथ जिलाधिकारी द्वारा भी चलाया जाता है । केंद्र शासन व राज्य शासन इस प्रशासन में सहभागी होते हैं ।

५.१ जिलाधिकारी

जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है । उसकी नियुक्ति राज्य शासन करता है । जिलाधिकारी को भूमिकर एकत्रित करने से लेकर जिले में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु अनेक कार्य करने पड़ते हैं । निम्न तालिका के आधार पर हम इसको समझेंगे ।

जिलाधिकारी ↓			
कृषि/खेती	**कानून व व्यवस्था**	**चुनाव अधिकारी**	**आपदा प्रबंधन**
• भूमिकर (लगान) एकत्रित करना ।	• जिले में शांति प्रस्थापित करना ।	• चुनाव योग्य पद्धति से संपन्न करवाना ।	• आपदा के समय तुरंत निर्णय लेकर होने वाली हानि को रोकना ।
• खेती से संबंधित कानूनों का पालन करना ।	• सामाजिक स्वास्थ्य अबाधित रखना ।	• चुनाव संबंधी आवश्यक निर्णय लेना ।	• आपदा प्रबंधन व्यवस्था को निर्देश देना ।
• सूखे व चारे की कमी पर उपाय योजना करना ।	• सभाबंदी, कर्फ्यू (निषेधाज्ञा/घरबंदी) लागू करना ।	• मतदाता सूची अद्यतन करना ।	• आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्वसन करना ।

क्या तुम जानते हो ?

सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखना महत्त्वपूर्ण क्यों होता है?

समाज में होनेवाले विवाद, झगड़ों और संघर्ष का निवारण शांतिपूर्वक ढंग से होना चाहिए, परंतु कभी-कभी ऐसा नहीं होने पर अशांति निर्माण होती है । जिससे हिंसक घटनाएँ होती हैं और सामाजिक स्वास्थ्य नष्ट होता है । इससे हमारे विकास में बाधा निर्माण होती है । सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचती है । ऐसा न हो; इसके लिए जिलाधिकारी प्रयत्नशील रहता है; परंतु नागरिकों को भी सामाजिक शांति, सुव्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग देना चाहिए ।

तहसीलदार : प्रत्येक तहसील के लिए एक तहसीलदार होता है । तहसीलदार तहसील दंडाधिकारी के नाते विवादों का निपटारा भी करता है । तहसील में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार पर होती है ।

५.२ जिला पुलिस प्रमुख

महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक होता है । वह जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है । जिले में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस प्रमुख जिलाधिकारी की मदद करता है । शहर में शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने का दायित्व पुलिस आयुक्त पर होता है ।

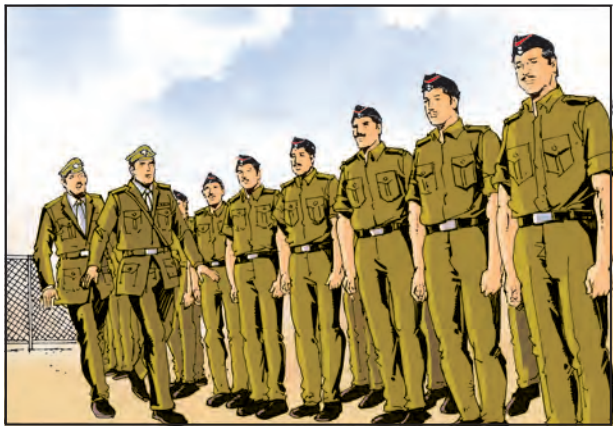

पुलिस अधीक्षक पुलिस दल का निरीक्षण करते हुए ।

जिला प्रशासन

जिलाधिकारी	पुलिस अधीक्षक
उपजिलाधिकारी	पुलिस उपअधीक्षक
तहसीलदार	पुलिस निरीक्षक
पटवारी(तलाठी)	सहायक पुलिस निरीक्षक
पुलिस पाटील	

५.३ जिला न्यायालय

अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत झगड़ों का निपटारा करना, विवादों पर न्याय करना और विवादों का तुरंत निराकरण करना जैसे कार्य जिला स्तर के न्यायालय को करने पड़ते हैं ।

भारत के संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका की निर्मिति की है । न्यायपालिका के सर्वोच्च स्थान पर भारत का सर्वोच्च (उच्चतम) न्यायालय होता है । उसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं । उसके अधीन कनिष्ठ न्यायालय होते हैं । इसमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय और दीवानी न्यायालय का समावेश होता है ।

न्यायालय का कामकाज

जिला स्तर के न्यायालय को 'जिला न्यायालय' कहा जाता है । उसमें एक मुख्य जिला न्यायाधीश व अन्य कुछ न्यायाधीश होते हैं । जिले के विभिन्न मामलों की सुनवाई तथा उसके बाद अंतिम निर्णय देने का कार्य जिला न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं । तहसील न्यायालय में दिए गए निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है ।

जिला न्यायालय

- दीवानी न्यायाधीश — दीवानी विवादों के लिए
- सत्र न्यायाधीश
  - मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (फौजदारी
  - मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी विवादों के लिए)

आपदा प्रबंधन

हमें विविध आपदाओं का सामना करना पड़ता है । बाढ़, आग, चक्रवात, बादलों का फटना, ओलावृष्टि, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ दंगे-फसाद, बाँध का टूटना, बमविस्फोट, संक्रामक रोग जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है । ऐसी आपदाओं से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होता है । जन-धन हानि भी होती है । अत: पुनर्वसन की समस्या भी महत्त्वपूर्ण बन जाती है । आपदा का सुव्यवस्थित व नियोजित पद्धति से मुकाबला करने की पद्धति को 'आपदा प्रबंधन' कहा जाता है । आपदा प्रबंधन में संपूर्ण जिला प्रशासन कार्यरत रहता है । तकनीकी विकास के कारण आजकल अनेक आपदाओं का पूर्वानुमान भी हो जाता है । जैसे- बाढ़, आँधी-तूफान की पूर्वसूचना देनेवाली प्रणालियाँ विकसित हुई हैं । इन प्रणालियों से खतरे की सूचना मिल जाती है ।

यह हमेशा ध्यान रखें...

आपदा के समय सतर्क रहना आवश्यक है । आपदा का सामना करने के लिए लोगों व विभिन्न संस्थाओं की मदद की आवश्यकता होती है । उनसे त्वरित संपर्क किया जा सके; इसके लिए अपने घर के दर्शनीय हिस्से पर अस्पताल, पुलिस, दमकल विभाग, रक्तपेढ़ी (ब्लड बैंक) आदि के फोन नंबर लिखकर रखें । अपने मित्रों से भी ऐसा करने के लिए कहें ।

क्या तुम जानते हो ?

महाराष्ट्र में अनेक अधिकारियों ने प्रशासन में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए । उनके द्वारा किए गए इन प्रयोगों के कारण लोगों को मिलनेवाली सेवाओं में सुधार हुआ । परिणामत: प्रशासन के प्रति लोगों की धारणा अच्छी और सकारात्मक बनने लगी और नागरिकों की प्रतिक्रिया व प्रशासन को मिलनेवाले सहयोग में वृद्धि हुई ।

(अ) लखीना पैटर्न : प्रशासन कार्यक्षम बने, नागरिकों को मिलनेवाली सार्वजनिक सेवाएँ उत्तम और स्तरीय हों; इसके लिए अहमदनगर जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री. अनिलकुमार लखीना ने प्रशासन में विविध सुधार किए । उन्हीं को 'लखीना पैटर्न' कहा जाता है । कार्यपद्धति का प्रमाणीकरण, लोगों को आसान भाषा में नियम समझाना आदि प्रशासनिक परिवर्तन किए गए । लोगों के विविध कार्य एक ही छत के नीचे हों; इसलिए उन्होंने एक खिड़की योजना शुरू की ।

(ब) दलवी पैटर्न : पुणे जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री. चंद्रकांत दलवी द्वारा किए गए

प्रशासनिक सुधारों को 'दलवी पैटर्न' कहा जाता है । टेबल पर कागजों और फाइलों के ढेर न लगने देना, किसी भी काम का निपटारा उसी दिन करना व निर्णय लेने में गतिशीलता लाना ही उनके सुधार का प्रमुख उद्‌देश्य था। यह पैटर्न जीरो पेन्डन्सी (शून्य विलंब) नाम से भी जाना जाता है । इस व्यवस्था से निर्णय में होनेवाले विलंब पर रोक लगी । इस पैटर्न से प्रशासन में गति आने लगी ।

(क) चहांदे पैटर्न : नाशिक के तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. संजय चहांदे द्‌वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों को 'चहांदे पैटर्न' के नाम से जाना जाता है । प्रशासन व सामान्य लोगों के बीच की दूरी कम हो; लोगों के प्रति प्रशासन का उत्तरदायित्व बढ़े, जनता के सहयोग से विकास कार्य की प्रधानता तय की जाए; इसके लिए 'ग्रामस्थ दिन' योजना का प्रारंभ किया । प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी निश्चित दिन पर गाँव में जाकर लोगों से वार्तालाप करें और उनकी समस्याएँ दूर करने के प्रयास करें । इसके लिए 'ग्रामस्थ दिन' की योजना शुरू की गई ।

स्वाध्याय

१. एक वाक्य में उत्तर लिखो ।

(१) जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है?
(२) तहसीलदार पर कौन-सा उत्तरदायित्व होता है ?
(३) न्यायपालिका का शीर्षस्थ न्यायालय कौन-सा होता है?
(४) किन-किन आपदाओं की पूर्वसूचना हमें मिल सकती है ?

२. उचित जोड़ियाँ मिलाओ ।

समूह 'अ'	समूह 'ब'
(अ) जिलाधिकारी	(१) तहसील दंडाधिकारी
(आ) जिला न्यायालय	(२) कानून व सुव्यवस्था बनाए रखना
(इ) तहसीलदार	(३) विवाद निपटाना

३. नीचे लिखे मुद्‌दों पर विचार-विमर्श करो ।

(१) आपदा प्रबंधन
(२) जिलाधिकारी के कार्य

४. निम्नलिखित में से तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों बताओ ।

(१) जिलाधिकारी
(२) जिला पुलिस प्रमुख
(३) न्यायाधीश

उपक्रम :

(१) तुम्हारे निकट के पुलिस थाने में जाओ और वहाँ के कामकाज की जानकारी एकत्र करो ।
(२) विभिन्न आपदाओं व उनसे संबंधित बरती जाने वाली सावधानियों व महत्त्वपूर्ण फोन नंबरों की तालिका तैयार कर कक्षा के दर्शनीय भाग पर लगाओ ।
(३) नए वर्ष के अवसर पर जिलाधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख, जिला प्रमुख न्यायाधीश को शुभकामनापत्र भेजो ।

* * *

7151GP

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथ

- सामान्य रयतेच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या स्वराज्य स्थापनेची कथा उलगडणारे पुस्तक.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तुंग कार्य व त्यामागची तेवढीच उत्तुंग व उदात्त भूमिका वाचकांसमोर आणणारे प्रेरणादायी वाचन साहित्य.
- इतिहास वाचनासाठी पूरक असे संदर्भ पुस्तक.

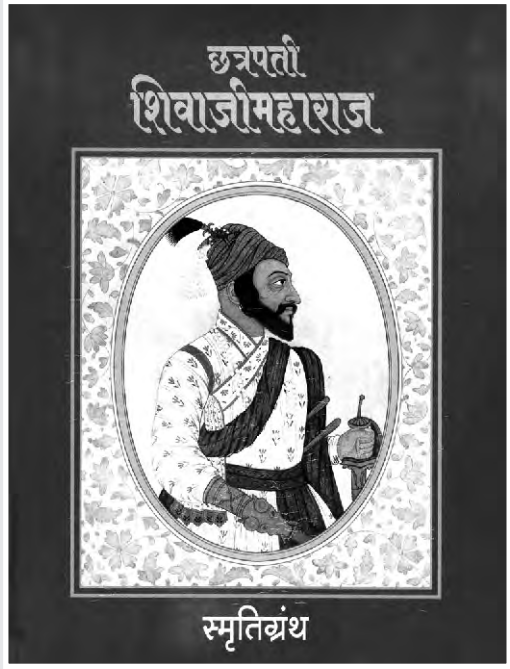

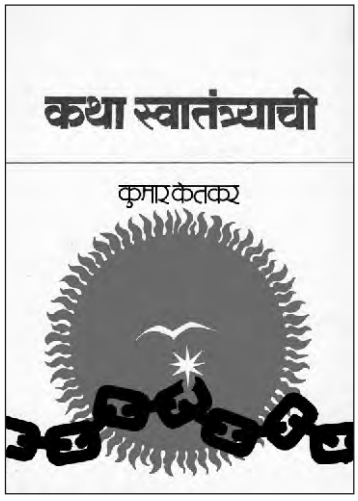

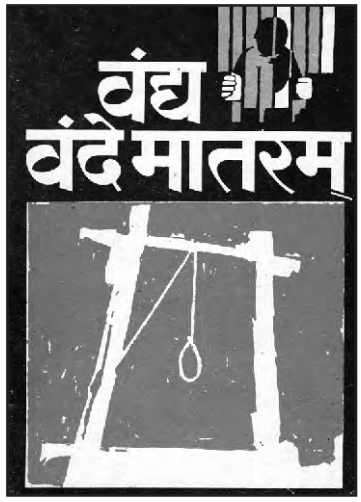

- इतिहास वाचनासाठी पूरक अशी संदर्भ पुस्तके.
- निवडक लेखक, इतिहासकारांचे प्रेरणादायी लेख.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेतस्थळावर भेट द्या.

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

ग्रामसभा

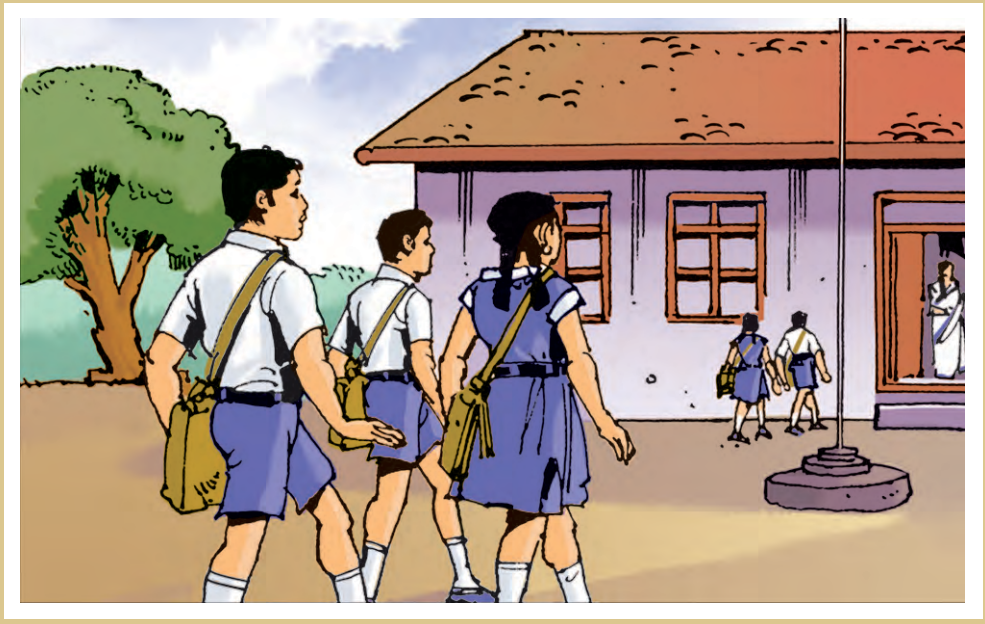

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे–४११ ००४

इतिहास व नागरिकशास्त्र इ. ६ वी (हिंदी माध्यम)

₹37.00